

ber Board Service (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 231 in Gazette of India dated the 3rd February, 1968, under sub-section (3) of section 25 of the Rubber Act, 1947. [Placed in Library, See No. LT-147/68.]

12-10 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Rice-Milling Industry (Regulation) Amendment Bill, 1968, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th February, 1968."

12-10½ hrs.

RICE-MILLING INDUSTRY (REGULATION) AMENDMENT BILL

As Passed by Rajya Sabha

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Rice-Milling Industry (Regulation) Amendment Bill, 1968.

12-10½ hrs.

STATEMENT RE: AWARD OF INTERNATIONAL TRIBUNAL REGARDING INDO-PAKISTAN BORDER IN GUJARAT-WEST PAKISTAN AREA

MR. SPEAKER: The hon. Prime Minister.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, इनका वक्तव्य आने से पहले मेरी एक प्रार्थना सुनिये। इस कच्छ करार के निणय के संबंध में स्थगन प्रस्ताव भी आया है तथा सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव भी

दिया गया है। हमारी प्रार्थना है कि जैसे इन के वक्तव्यों से मामला पहले खराब हो चुका है उसे डर है कि आज के इन के वक्तव्य से समस्या और ज्यादा उलझ जायेगी। इस लिये हम चाहते हैं कि हमारे स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव को आप पहले लें और उस पर जो बहस होगी उस के जवाब में उन को जो कहना है, वह कहें। हम लोगों की बात यहाँ सुन लें। हम नहीं चाहते कि वे यहाँ पर वक्तव्य दें क्योंकि उससे मामला और उलझ सकता है। हम नहीं चाहते कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य आज यहाँ हो। (Interruptions).

MR. SPEAKER: Order, order. Will that help me? It something has to be said, when the Prime Minister is here and other Ministers are there it is, not going to be helpful at all.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जा निर्णय आया है उसके बारे में वे सरकारी नीति की घोषणा न करें क्योंकि उससे बड़ी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आप उनको वक्तव्य देने की इजाजत न दें।

MR. SPEAKER: Do not go into the merits.

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ, नियम 198 के अनुसार। मैं उस नियम को पढ़ कर सुनाता हूँ :

"198(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely:—

(a) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon."

प्रश्नों के बाद और अन्य कार्यवाही से पहले यह आवश्यक है कि अविश्वास के प्रस्ताव को लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास